सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

का

वार्षिक प्रतिवेदन
2025-2026

संदेश

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। गन्ना एक नगदी फसल है जिससे किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। गन्ने की खेती कर किसान धान–गेहूँ फसल की तुलना में अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में गन्ना की खेती लगभग 2.31 लाख हेक्टेयर में होता है। वर्त्तमान परिवेश में गन्ने की खेती पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सिवान, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सीतामढ़ी, शिवहर एवं मुजफ्फरपुर जिले में मुख्य रूप से की जाती है। गुड़ उत्पादन हेतु अन्य जिलों में भी कमोवेश गन्ने की खेती की जाती है। बाजार में गन्ना रस की मांग भी बढ़ रहा है। इसके लिए भी किसान गन्ना की खेती कर रहे हैं। गन्ना आधारित उद्योगों से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होता है एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। साथ ही चीनी उद्योग के सह उत्पाद से इथेनॉल एवं विद्युत उत्पादन भी राज्य में किया जा रहा है एवं इस क्षेत्र में निवेश की काफी संभावनायें है। गैर चीनी मिल क्षेत्रों में भी गुड़ उत्पादन ग्रामीण आय का एक मुख्य स्रोत है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अधीन राज्य सरकार गन्ना की खेती एवं गन्ना आधारित उद्योग को बढ़ावा दे रही है।

मुझे खुशी है कि चार सालों से बंद रीगा चीनी मिल का पुनः परिचालन वर्ष 2024 से शुरू हो गया है। इससे चीनी मिल क्षेत्र के किसानों के बीच काफी खुशी का माहौल है।

राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय–3 के तहत समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार अंतर्गत राज्य में **पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू की जायेगी तथा नयी चीनी मिलों की स्थापना** की जायेगी। इस क्रम में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के द्वारा राज्य में नये चीनी मिलों की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरूद्धार से संबंधित नीति निर्धारण/कार्य योजना तैयार किया जा रहा है।

वर्तमान पेराई सत्र 2025–26 में गन्ना की खरीद मूल्य पर 15–20 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त 10 रूपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य का भुगतान राज्यकोष से किया जा रहा है।

वार्षिक प्रतिवेदन में विभाग के कार्यकलापों के संबंध में संक्षिप्त सूचना संकलित रूप में प्रस्तुत की गई है। स्पष्ट है कि गन्ना किसानों के उत्साह एवं राज्य सरकार की नीतियों के फलस्वरूप गन्ना आधारित उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा राज्य में नये निवेश का वातावरण तैयार होगा।

(संजय कुमार)
मंत्री
गन्ना उद्योग विभाग।

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सामान्य सूचना	04
2	विभागीय संगठन	05–10
3	प्रमुख उपलब्धियाँ	11–19
4	प्रमुख चुनौतियाँ	20
5	महत्वपूर्ण कार्यक्रम	21–25
6	प्रस्तावित योजनाओं का लक्ष्य	26
7	चीनी मिलों की संक्षिप्त जानकारी	27–36

सामान्य सूचना

गन्ना उद्योग : एक नजर में

राज्य में गन्ना एक महत्वपूर्ण नगदी एवं व्यवसायिक फसल है। यह न केवल किसानों की आय का प्रमुख स्रोत है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त है। राज्य में गन्ने की खेती के विकास की प्रचुर सम्भावनाएं विद्यमान हैं। चीनी उद्योग कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में काफी मददगार है। चीनी एवं उसके अनुषंगी उद्योग, विशेष कर इथेनॉल एवं विद्युत सह–उत्पादन के क्षेत्र में निवेश के काफी संभावनायें हैं। गन्ना उद्योग विभाग का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, तथा वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से गन्ना उत्पादन मे वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करना है। विभाग गन्ना आधारित उद्योगों, विशेषकर चीनी मिलों और सह–उत्पादों (गुड़, इथेनॉल आदि) के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वर्ष 2024–25 के महत्वपूर्ण आकंड़े

1.	राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि	53.95 लाख हेक्टेयर
2.	गन्ना का आच्छादन	2.31 लाख हेक्टेयर
3.	गन्ना का उत्पादन	141.60 लाख टन
4.	गन्ना का उत्पादकता	61.37 टन प्रति हेक्टेयर
5.	राज्य में कार्यरत चीनी मिलों की संख्या	10
6.	पेराई की गई गन्ना की मात्रा	624.23 लाख क्वींटल
7.	चीनी उत्पादन	60.83 लाख क्वींटल
8.	चीनी रिकवरी प्रतिशत	10.14
9.	चीनी मिलों की कुल पेराई क्षमता	64500 टी.सी.डी.

राज्य सरकार सात निश्चय–3 के तहत **पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करने तथा नयी चीनी मिलों की स्थापना** हेतु दृढ़संकल्पित है। इस क्रम में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के द्वारा राज्य में नये चीनी मिलों की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलां के पुनरूद्धार से संबंधित नीति निर्धारण/कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। यह कदम राज्य के किसानों को व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होगें तथा इससे उनकी आर्थिक विकास के साथ राज्य की वित्तीय प्रगति में सहायक सिद्ध होगा।

राज्य में चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए गन्ना प्रोत्साहन पैकेज–2014 लागू की घोषणा की गई हैं। इसके अंतर्गत न्यूनतम 2500 टी.सी.डी. की नयी चीनी मिल की स्थापना तथा कार्यरत चीनी मिल का न्यूनतम 1500 टी.सी.डी. से क्षमता विस्तार करने पर अचल पूंजी निवेश पर 20% अनुदान या 15 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी। इसी प्रकार न्यूनतम 30 के.एल.पी.डी. की क्षमता की नयी डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना तथा कार्यरत डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई का न्यूनतम 15 के.एल.पी.डी. से क्षमता विस्तार करने पर अचल पूँजी निवेश पर 20% अनुदान या 5 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी। इसी प्रकार 10 मेगावाट की नयी सह–विद्युत इकाई की स्थापना तथा कार्यरत सह–विद्युत उत्पादन इकाई न्यूनतम 05 मेगावाट से क्षमता विस्तार पर अचल पंूजी निवेश पर 20% अनुदान या 15 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी।

बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के प्रयास के साथ–साथ कार्यरत चीनी मिल के क्षमता विस्तार एवं नयी चीनी मिल की स्थापना की दिशा में भी विभाग द्वारा कारगर कदम उठाये गये हैं। हरिनगर चीनी मिल द्वारा अपनी डिस्टीलरी क्षमता को 140 के.एल.पी.डी. से 165 के.एल.पी.डी. विस्तारित किया गया है जिसे 200 के.एल.पी.डी. तक क्षमता का विस्तारित किये जाने की कार्य योजना है। मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा द्वारा अपने पेराई क्षमता को 10000 टी०सी०डी० तक विस्तारित किया जा रहा है एवं 200 के.एल.पी.डी. डिस्टीलरी की स्थापना की जा रही है। मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि0 इकाई–न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज द्वारा अपने पेराई क्षमता को 10000 टी०सी०डी० तक विस्तारित किया है। हरिनगर एवं नरकटियागंज डिस्टीलरियों द्वारा इथेनाल की आपूर्त्ति हेतु तेल कम्पनियों से एकरारनामा कर उसकी आपूर्त्ति तेल कम्पनियों को की जा रही है। हसनपुर चीनी मिल द्वारा भी अपने क्षमता को 5000 टी.सी.डी. से 6500 टी.सी.डी. तक क्षमता विस्तार किया जा चुका है। गन्ना उद्योग के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार **बिहार राज्य गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2026** पर विचार कर रही है।

माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में राज्य सरकार को गन्ने के मूल्य का निर्धारण की शक्ति नहीं है। विभाग द्वारा पेराई सत्र 2022–23 एवं अगामी पेराई सत्रों के लिए भी महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त कर सरकार द्वारा गन्ना मूल्य निर्धारण करने से संबंधित आदेश निर्गत किया गया था, जिसके विरूद्ध बिहार सुगर मिल्स एसोशिएशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। इस बीच राज्य सरकार का यह प्रयास रहा है कि किसानों को उनके गन्ने का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये आवश्यक पहल के आलोक में ही चालू पेराई सत्र 2025–26 के लिए ईख के गैर अनुशंसित प्रभेद के लिए 330 रू०/क्विंटल, सामान्य प्रभेद के लिए 360 रू०/क्विंटल एवं उत्तम प्रभेद के लिए 380 रू०/क्विंटल के दर की घोषणा की गयी है। पेराई सत्र 2024–25 अंतर्गत चीनी मिलों द्वारा शत–प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त 10 रूपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य का भुगतान राज्यकोष से किया जा रहा है।

विभागीय संगठन

1.1 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या–141 दिनांक–15.01.2006 द्वारा "गन्ना उद्योग विभाग" को एक स्वतंत्र विभाग घोषित किया गया है। इस विभाग के निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं:–

1) ईख अनुसंधान और विकास,
2) ईख आपूर्त्ति, खरीद एवं वितरण का विनियमन,
3) ईख खरीद कर एवं ईख कमीशन का निर्धारण तथा वसूली,
4) चीनी मिलों पर नियंत्रण,
5) बिहार राज्य चीनी निगम का नियंत्रण,
6) गुड़/ खांडसारी उद्योग से सम्बन्धित कार्य,
7) ईख विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण,
8) ईख विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार,

1.2 विभाग में मुख्यतः दो प्रभाग हैं :–

(1) रेगुलेटरी प्रभाग और
(2) गन्ना विकास प्रभाग

रेगुलेटरी प्रभाग से सम्बन्धित कार्य : राज्य में स्थापित चीनी मिलों के सुचारू रूप से संचालन के लिए पर्याप्त गन्ने की व्यवस्था और प्रत्येक चीनी मिल के लिए क्षेत्र आरक्षण, गन्ना कास्तकारों के हित का संरक्षण यथा उनके गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान, गन्ने की माप–तौल का पर्याप्त निरीक्षण, गन्ना कय पर कय कर का अधिरोपण तथा उसकी समय पर वसूली, कमीशन का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षेत्रीय विकास के कार्यो को सम्पादित किया जाता है। ये सारे कार्य बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत होते हैं ।

विभाग के अन्तर्गत एक उपकम **बिहार राज्य चीनी निगम लि0, पटना** है, जिसके अधीन निगम द्वारा राज्य सरकार ने बंद चीनी मिल कर्मियों के लिए स्वीकृत एक्जीट सेटलमेंट प्लान लागू कर रही है।

गन्ना विकास से सम्बन्धित कार्य : चीनी मिल क्षेत्रों तथा गैर चीनी मिल क्षेत्र में पर्याप्त गन्ना का विकास और उत्पादन अधिक हो, इसके लिए विभिन्न ईख विकास कार्यकमों का कार्यान्वयन गन्ना विकास प्रभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है ।

निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष के रूप में ईख आयुक्त, बिहार पदस्थापित होते हैं। कार्य के निष्पादन हेतु मुख्यालय स्तर पर रेगुलेटरी एवं विकास प्रभाग के पदाधिकारी पदस्थापित हैं।

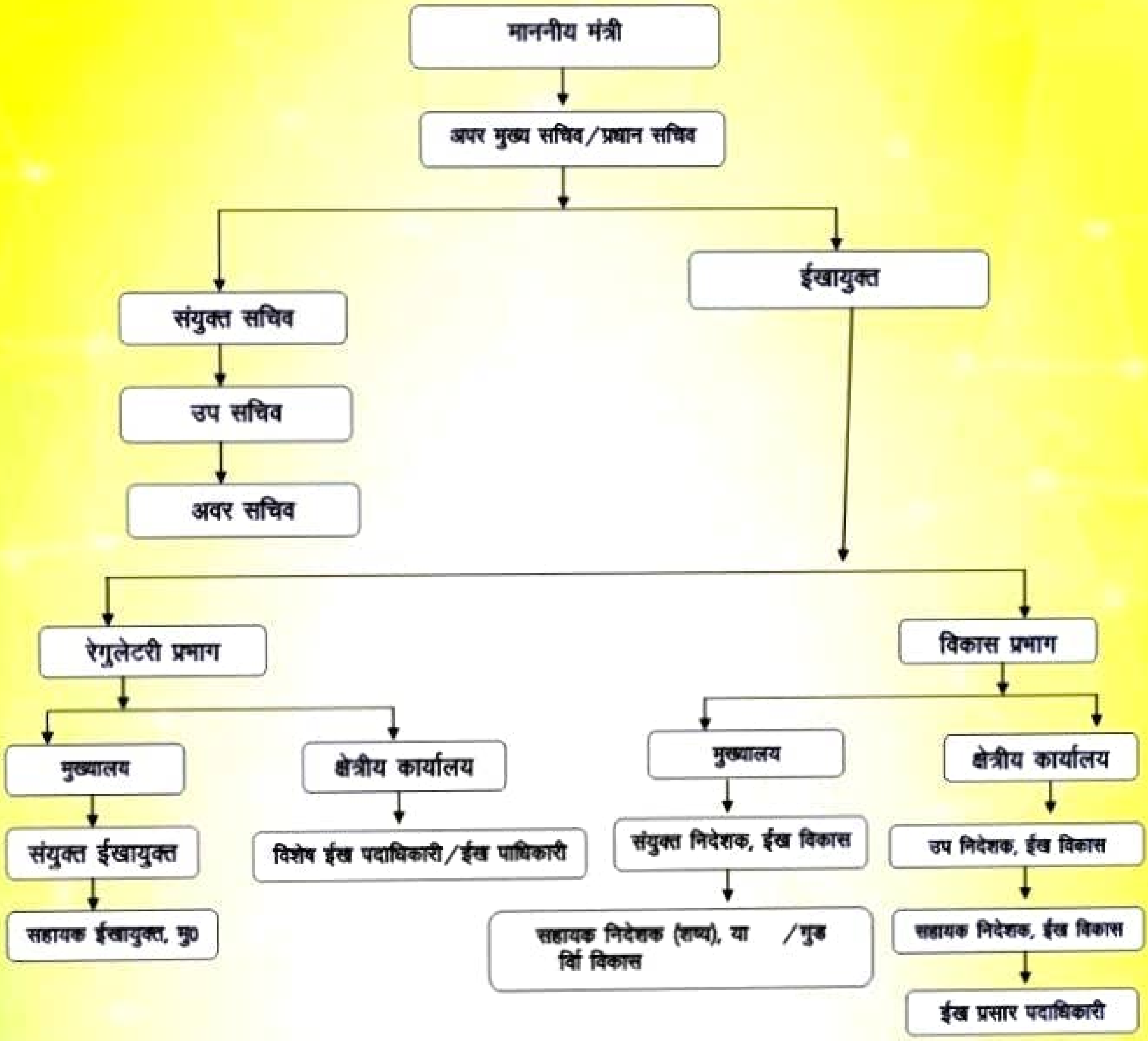
माननीय मंत्री
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव
संयुक्त सचिव
उप सचिव
अवर सचिव
ईखायुक्त
रेगुलेटरी प्रभाग
विकास प्रभाग
मुख्यालय
क्षेत्रीय कार्यालय
संयुक्त ईखायुक्त
सहायक ईखायुक्त, मु0
विशेष ईख पदाधिकारी/ईख पाधिकारी
मुख्यालय
क्षेत्रीय कार्यालय
संयुक्त निदेशक, ईख विकास
सहायक निदेशक (राज्य), या /गुड़
विं विकास
उप निदेशक, ईख विकास
सहायक निदेशक, ईख विकास
ईख प्रसार पदाधिकारी

रेगुलेटरी प्रभाग (मुख्यालय स्तर)

(रेगुलेटरी प्रभाग के पदों की संगठनात्मक तालिका)

कमांक	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	ईखायुक्त, बिहार, पटना	1	1	0	
2	उप ईखायुक्त, बिहार, पटना	1	0	1	
3	संयुक्त ईख आयुक्त, बिहार, पटना	1	1	0	
4	सहायक ईख आयुक्त, बिहार, पटना	1	0	1	
5	प्रशाखा पदाधिकारी	4	2	2	
6	निजी सहायक/आशुलिपिक/आप्त सचिव	6	3	3	
7	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	8	7	1	
8	सांख्यिकी सहायक	1	0	1	
9	उच्च वर्गीय लिपिक	1	0	1	
10	अभिलेखवाह	1	0	1	
11	चालक	1	0	1	
12	निम्नवर्गीय लिपिक	1	0	1	
13	अनुसेवक	16	0	16	
	योग–	**43**	**14**	**29**	

विकास प्रभाग (मुख्यालय स्तर)
(विकास प्रभाग के पदों की संगठनात्मक तालिका)

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	संयुक्त निदेशक (विकास)	1	0	1
2	सहायक निदेशक मु0	1	2	0
3	सहायक निदेशक (शष्य) गुड़ विकास	2	2	0
4	सहायक निदेशक (शष्य) योजना	2	2	0
5	सहायक निदेशक, (शष्य) ईख विकास	2	2	0
6	ईखायुक्त के सचिव	1	0	1
7	सांख्यिकी पदाधिकारी	1	0	1
8	प्रशाखा पदाधिकारी	2	0	2
9	संयुक्त निदेशक (विकास) के निजी सहायक	1	0	1
10	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	8	2	6
11	वरीय सांख्यिकी सहायक	1	0	1
12	उच्च वर्गीय लिपिक	1	0	1
13	निम्न वर्गीय लिपिक	2	0	2
14	चालक	2	0	2
15	अनुसेवक	2	2	0
	योग–	**29**	**14**	**16**

रेगुलेटरी प्रभाग (क्षेत्रीय कार्यालय)

रेगुलेटरी प्रभाग के पदों की संगठनात्मक तालिका

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	सहायक ईखायुक्त	4	0	4
2	विशेष ईख पदाधिकारी	2	1	1
3	ईख पदाधिकारी	28	8	20
4	आशुटंकक	1	0	1
5	कार्यदर्शक	2	0	2
6	व्यवस्थापक	2	0	2
7	अनुसेवक	24	13	11
	योग–	**63**	**22**	**41**

विकास प्रभाग (क्षेत्रीय कार्यालय)

विकास प्रभाग के पदों की संगठनात्मक तालिका

कमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	उप निदेशक	10	1	9
2	सहायक निदेशक (शष्य) ईख विकास / योजना / गुड़ विकास / कीट्विद् / व्याधिविद्	66	21	45
3	ईख प्रसार पदाधिकारी	87	34	53
4	ईख पर्यवेक्षक (कृषि स्नातक)	21	0	21
5	जनसेवक	220	08	212
6	कनीय अनुसंधान सहायक	2	0	2
7	सांख्यिकी संगणक	3	0	3
8	आंशु टंकक	3	1	2
9	प्रधान लिपिक (रेगुलेटरी प्रभाग एवं विकास प्रभाग हेतु)	10	8	2
10	उच्चवर्गीय लिपिक (रेगुलेटरी प्रभाग एवं विकास प्रभाग हेतु)	20	12	8
11	निम्नवर्गीय लिपिक (रेगुलेटरी प्रभाग एवं विकास प्रभाग हेतु)	51	28	23
12	बीज उत्पादन सहायक	52	0	52
13	गतिशील कर्मचारी	29	0	29
14	मेकेनिक–सह–बिजली मिस्त्री	11	0	11
15	जीप चालक	12	02	10
16	ट्रैक्टर चालक	7	0	7
17	खलासी	13	0	13
18	कार्यालय परिचारी	79	24	55
19	प्रयोगशाला परिचारक	2	0	2
20	कामदार	405	7	398
	योग–	**1103**	**146**	**957**

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. गन्ना एवं चीनी उत्पादन से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०	योजना इकाई	वर्ष 2022–2023		वर्ष 2023–2024		वर्ष 2024–2025		वर्ष 2025–2026
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	गन्ने का क्षेत्र आच्छादन लाख हे० में	2.60	2.18	2.80	2.37	2.50	2.31	2.10
2	गन्ने का उत्पादन (लाख टन में)	156.00	149.01	238.00	150.50	175.00	141.61	124.80
3	गन्ने की उत्पादकता (टन/हे० में)	60	65.59	85	67.30	70	61.37	65
4	पेराई हेतु गन्ने की उपलब्धता (लाख टन में)	59.55	66.30	77.80	67.72	75.00	65.42	57.44
5	चीनी का उत्पादन (लाख टन में)	5.50	6.27	7.60	6.88	7.88	6.08	5.74
6	चीनी प्राप्ति का प्रतिशत	11.00	9.46 (with BH) 10.72 (without BH)	11.00	10.16 (with BH) 10.77 (without BH)	11.00	9.75 (with BH) 10.14 (without BH)	11.00

2. राज्य में चालू चीनी मिलों की प्रगति :

पेराई सत्र 2024–25 में राज्य की चीनी मिलों द्वारा 624.23 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करते हुए औसतन 9.74 प्रतिशत रिकवरी के साथ कुल 60.83 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। चालू पेराई वर्ष 2025–26 में कुल 10 चीनी मिलों द्वारा दिनांक–10.01.2026 तक 253.54 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गयी है। औसतन अबतक 40 दिन मिलें चली एवं 10.09 प्रतिशत रिकवरी से कुल 24.41 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। चीनी मिलों में पेराई का कार्य प्रगति पर है। विवरण निम्नवत् है:–

पेराई वर्ष 2025–2026 अन्तर्गत दिनांक–10.01.2026 तक चीनी मिलों के गन्ने की पेराई की स्थिति :–

(आंकड़े लाख क्विंटल में)

क्र०सं०	चीनी मिलों का संक्षिप्त नाम एवं जिला	स्थापना वर्ष	पेराई ईख क्षमता टी०सी०डी०	पेराई की गई ईख की मात्रा	चीनी उत्पादन की मात्रा	रिकवरी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	बगहा, प. चम्पारण	1936	8000	39.20	4.05	10.69
2	हरिनगर, प. चम्पारण	1933	13000	61.11	6.34	10.70
3	नरकटियागंज, प. चम्पारण	1932	10000	44.01	4.45	10.89
4	मंझौलिया, प. चम्पारण	1933	5000	26.80	2.17	10.27
5	विष्णु, गोपालगंज	1932	5000	15.87	1.46	9.75
6	सिधवलिया, गोपालगंज	1932	5000	17.97	1.77	10.45
7	हसनपुर, समस्तीपुर	1934	6500	20.04	2.01	10.41
8	लौरिया, प. चम्पारण	1905	3500	14.30	1.21	10.29
9	सुगौली, पूर्वी चम्पारण	1934	3500	12.47	0.90	8.32
10	रीगा, सीतामढी	1933	5000	1.77	0.05	9.11
	योग :–		**64500**	**253.54**	**24.41**	**10.09**

हरिनगर चीनी मिल– पेराई क्षमता को 11500 टी०सी०डी० से विस्तारित कर 13000 टी०सी०डी० विस्तारित किया गया है।

मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि० इकाई–नरकटियागंज चीनी मिल– पेराई क्षमता को 7500 टी०सी०डी० से विस्तारित कर 10000 टी०सी०डी० कर दिया गया है।

मेसर्स तिरूपति सुगर मिल्स, बगहा– पेराई क्षमता को 8000 टी०सी०डी० से बढ़ाकर 10000 टी०सी०डी० किया जा रहा है।

चीनी मिलों द्वारा विगत पाँच वर्षो एवं चालू पेराई सत्र में दिनांक–10.01.2026 तक किए गए गन्ना पेराई, चीनी उत्पादन एवं रिकवरी की विवरणी :–

क्र०सं०	पेराई सत्र	पेरी गई गन्ने की मात्रा (लाख क्विंटल में)	चीनी उत्पादन (लाख क्वींटल में)	चीनी रिकवरी प्रतिशत
1	2	3	4	5
02.	2020-21	460.20	46.22	10.04
03.	2021-22	473.09	45.60	10.84 (without BH)
04.	2022-23	662.96	62.74	10.72 (without BH)
05	2023-24	677.20	68.77	10.77 (without BH)
06.	2024-25	624.23	60.83	10.14 (without BH)
07.	2025-26 (up to 10.01.2026)	253.54	24.41	10.09 (without BH)

कार्यरत चीनी मिलों द्वारा विगत पाँच वर्षो एवं चालू पेराई सत्र में दिनांक–10.01.2026 तक किये गये इथनॉल उत्पादन एवं डिस्टीलरी क्षमता की विवरणी :–

क्र० सं०	चीनी मिलों का संक्षिप्त नाम	क्षमता (KLPD)	वर्ष 2020–21 (KL में)	वर्ष 2021–22 (KL में)	वर्ष 2022–23 (KL में)	वर्ष 2023–24 (KL में)	वर्ष 2024–25 (KL में)	वर्ष 2025–26 (KL में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	हरिनगर	165	25594.40	22670.00	35043.16	2985102	25393.42	4340.00
02.	नरकटियागंज	60	15243.52	20900.24	23838.71	23032.23	23372.50	3125.00
03.	मझौलिया	60	2069.28	8981.38	10695.24	1154.43	11010.03	1876.55
04.	लौरिया	60	3450.01	4805.00	7670.01	8306.01	5038.89	1706.57
05.	सुगौली	60	3725.00	4438.55	7297.07	8170.44	6114.50	10570.00
06.	रीगा	50	-	-	-	-	-	-
07.	सिधवलिया	75	7493.49	16644.24	27080.37	26320.94	25232.64	3805.08
	कुल :–	530.00	57575.70	78439.41	111624.56	107229.07	96161.98	25423.20

कार्यरत चीनी मिलों द्वारा विगत पाँच वर्षो एवं चालू पेराई सत्र में दिनांक–10.01.2026 तक किए गए विद्युत उत्पादन क्षमता एवं वर्षवार विद्युत के उत्पादन की विवरणी:–

क्र० सं०	चीनी मिलों का संक्षिप्त नाम	क्षमता (MW)	वर्ष 2020–21 (MW में)	वर्ष 2021–22 (MW में)	वर्ष 2022–23 (MW में)	वर्ष 2023–24 (MW में)	वर्ष 2024–25 (MW में)	वर्ष 2025–26 (MW में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	बगहा	6	34726.94	37176.02	44456.01	45840.35	43613.16	-
02.	हरिनगर	14.5	46090.00	43472.00	53495.00	63738.00	47354.00	13783.00
03.	नरकटियागंज	5	29158.31	30167.22	34991.45	35321.56	40047.86	18989.07
04.	सिधवलिया	10	30198.00	25230.00	35833.00	40783.90	-	-
05.	हसनपुर	10	26995.00	29407.88	40653.93	28284.18	32899.75	10919.00
06.	लौरिया	20	19078.00	21172.00	37020.00	25591.00	30093.00	11181.00
07.	सुगौली	20	12318.00	14267.00	31033.00	18056.00	26390.00	4807.00
08.	रीगा	3	-	-	-	-	-	-
	कुल :–	88.50	198564.25	200892.12	277482.39	257615.00	220397.77	59679.07

- **चीनी मिल में इथेनाल का उत्पादन** : हरिनगर, मंझौलिया, लौरिया, सुगौली, सिधवलिया एवं नरकटियागंज चीनी मिलों द्वारा इथेनाल निर्माण किया जा रहा है तथा तेल कम्पनियों से एकरारनामा करते हुए उनको इथेनाल की आपूर्त्ति की जाती है। राज्य में होनेवाले देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री पर लगने वाले रोक के आलोक डिस्टीलरियों को उपलब्ध सम्पूर्ण छोआ से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी गयी है।

- **रिफाइंड चीनी का उत्पादन** : सिधवलिया चीनी मिल में वर्ष 2008–09 से रिफाइंड चीनी का उत्पादन आरम्भ हुआ है जो बिहार में पहली और भारत में छठी चीनी मिल है।

- **सात निश्चय–3** :– राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय–3 के तहत समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार अंतर्गत राज्य में **पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू की जायेगी तथा नयी चीनी मिलों की स्थापना** की जायेगी। इसी क्रम में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा राज्य में नये चीनी मिलों की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरूद्धार से संबंधित नीति निर्धारण/कार्य योजना तैयार किया जा रहा है।

- **गन्ना मूल्य में वृद्वि** :– चीनी मिल मालिकों के साथ विचार–विमर्श के उपरांत पेराई सत्र 2025–26 के लिए उत्तम एंव सामान्य प्रभेद के गन्ना पर 15 रु0/क्वींटल एंव निम्न प्रभेद के गन्ना पर 20 रु0/क्वींटल की दर से गन्ना मूल्य में बढोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य के किसानों को राज्यकोष से अतिरिक्त 10 रू० प्रति क्विंटल मूल्य वृद्वि का लाभ दिया जायेगा। इस प्रकार से वर्तमान पेराई सत्र में राज्य के गन्ना किसानों को उत्तम प्रजाति के गन्ना के लिए 390 रू० प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति के गन्ना के लिए 370 रू० प्रति क्विंटल तथा निम्न प्रजाति के गन्ना के लिए 340 रू० प्रति क्विंटल मूल्य का भुगतान होगा।

- **माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान किये गये घोषणा का क्रियान्वयन** :– माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान किये गये घोषणा के आलोक में गत पेराई सत्र 2024–25 अंतर्गत राज्य के गन्ना कृषकों को 10 रू० प्रति क्विंटल के दर से अतिरिक्त ईख मूल्य भुगतान लगभग मो० 62.89 करोड़ रू० किया गया है एवं शत प्रतिशत वितीय एवं भौतिक लक्ष्य प्राप्त किया गया है। चालू पेराई सत्र 2025–26 के लिए भी मो० 70.00 करोड़ रू० बजट उपबन्ध किया गया है, जिसका स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश निर्गत है।

- **बंद रीगा सुगर कंपनी का पुनः परिचालन** :– मेसर्स रीगा सुगर कंपनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी वर्ष 2020 से बंद था, जिसका परिचालन 26 दिसम्बर, 2024 से शुरू हो गया है। राज्य सरकार द्वारा रीगा मिल से संबंद्ध गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा मो० 51.31 करोड़ रू० आवंटित किया गया था, जिसके विरूद्ध मो० 48.10 करोड़ रू० (94 प्रतिशत) का भुगतान हो चुका है।

- **गन्ना किसानों को शत प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान** :– राज्य के कार्यरत चीनी मिलों के द्वारा गत पेराई सत्र 2024–25 अंतर्गत गन्ना कृषकों को शत् प्रतिशत ईख मूल्य का भुगतान 2261.37 करोड़ रू० किया गया है। चालू पेराई सत्र 2025–26 के लिए राज्य की कार्यरत सभी चीनी मिलों का परिचालन प्रारंभ हो चुका है। इस वर्ष 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना आच्छादित है। चीनी मिल प्रबंधनों द्वारा सुचारू रूप से गन्ना पर्ची का वितरण एवं निर्धारित अवधि में ईख मूल्य का भुगतान किया जा रहा है।

- **गन्ना यंत्रिकरण योजना का कार्यान्वयन** :– राज्य के गन्ना किसानों के हित में गन्ना यंत्रिकरण योजना का कार्यान्वयन गत वर्ष से प्रारंभ कर किया जा रहा है ताकि किसानों के गन्ना उत्पादन की लागत में कमी हो तथा उत्पादकता में वृद्धि के साथ चीनी रिकवरी में भी वृद्धि हो। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 1000.00 लाख रू० की योजना स्वीकृत है।

- **ईखोत्पादकों को प्रशिक्षण भ्रमण** : ईखोत्पादकों को गन्ना विकास के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने हेतु इनका दल विभिन्न गन्ना विकास से संबंधित संस्थाओं एवं चीनी मिलों में भेजे जाने का प्रावधान किया जाता है। इस प्रसंग में दल कोयम्बटूर, पूणे, लखनऊ आदि जगहों पर पूर्व में भेजे गये थे और भविष्य में भी आवश्यकतानुसार भेजा जायेगा।

- **फसल बीमा योजनान्तर्गत** : गन्ने के फसल को फसल बीमा योजनान्तर्गत सम्मिलित कराया गया है। बाढ़ के कारण गन्ने के फसल को हुए क्षति के लिए सी०आर०एफ० प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति की सरकार द्वारा व्यवस्था है। इस हेतु बिहार फसल सहायता योजना का कार्यान्वयन सहकारिता विभाग के द्वारा किया जाता है तथा इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग, बिहार के डी0बी0टी0 पोर्टल पर निबंधित किसान द्वारा सहकारिता विभाग, बिहार के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/cooperative के माध्यम से निर्धारित अवधि में ऑनलाईन आवेदन करने का प्रावधान है।
- **नवीनतम तकनीकी ज्ञान का प्रसार** : प्रयोगशाला में विकसित नवीनतम तकनीकी ज्ञान प्रसार विधि से किसानों के खेत तक पहुँचता है। नवीन तकनीक को अपना कर किसान आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाते हैं। इससे एक तरफ रोजगार का सृजन होता है तो दूसरी तरफ किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी भी हो रही है।
- **कम्प्यूटराईजेशन** : विभाग की योजनाओं का ऑनलाईन पद्धति से क्रियान्वयन हेतु अक्टूबर, 2024 में केन केयर पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं यथा–मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम, बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास परिषद् से संबंधित योजना, गुड़ इकाई की स्थापना हेतु लाईसेंस हेतु ऑनलाईन आवेदन सहित अन्य प्रक्रिया का निष्पादन किया जा रहा है। गन्ना यंत्रिकरण योजना हेतु **सुमेक पोर्टल** संचालित है। इसके अतिरिक्त गन्ना किसानों के समस्त समाधान के उद्देश्य से **" ईख मित्र मोबाईल ऐप "** विकसित कराया गया है।
- **गन्ना पंजीकरण** : विभाग द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं का लाभ एवं गन्ना किसानों के विशिष्ट पहचान हेतु सभी गन्ना कृषकों का केन केयर पोर्टल पर गन्ना पंजीकरण कराया जा रहा है। जिससे योजनाओं का लाभ सहित गन्ना सर्वे से लेकर ईख मूल्य भुगतान के विभिन्न चरणों की जानकारी गन्ना कृषकों को मिल सकेगा।
- **विभागीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण** : विभागीय पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु प्रावधान किया गया है एवं इस वर्ष पदाधिकारियों को गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है।

2. ईख मूल्य का भुगतान :

सरकार का यह प्रयास है कि किसानों को उनके गन्ने का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये आवश्यक पहल के आलोक में ही पेराई सत्र 2025–26 के लिए उत्तम एवं सामान्य प्रभेद के गन्ने पर 15–15 रू0 प्रति क्वींटल एवं निम्न प्रभेद के गन्ने पर 20 रू० प्रति क्वींटल की दर से बढ़ोतरी की गयी है। इस प्रकार पेराई सत्र 2025–26 में ईख के निम्न प्रभेद के लिए 330 रू०/क्विंटल, सामान्य प्रभेद के लिए 360 रू०/क्विंटल एवं उत्तम प्रभेद के लिए 380 रू०/क्विंटल के दर से गन्ना मूल्य का निर्धारण किया गया है। गत पेराई सत्र 2024–25 अंतर्गत चीनी मिलों द्वारा शत–प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। गत वर्ष गन्ना मूल्य निम्नवत् था–

उत्तम प्रभेद	365 + 10/–रूपये प्रति क्विंटल
सामान्य प्रभेद	345 + 10/–रूपये प्रति क्विंटल
निम्न प्रभेद	310 + 10/–रूपये प्रति क्विंटल

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा की गयी घोषणा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 से ईख मूल्य की दर में तीनों प्रभेदों में 10 (दस) रू० प्रति क्विंटल की वृद्धि के पश्चात् पेराई सत्र 2025–26 में ईख मूल्य का दर निम्नवत् है:–

उत्तम प्रभेद	380 + 10/–रूपये प्रति क्विंटल
सामान्य प्रभेद	360 + 10/–रूपये प्रति क्विंटल
निम्न प्रभेद	330 + 10/–रूपये प्रति क्विंटल

इस प्रकार ईख मूल्य में 10 (दस) रू० प्रति क्विंटल की वृद्धि के फलस्वरूप गन्ना कृषकों को पिछले वर्ष की तुलना में 25 से 30 रू० प्रति क्विंटल की दर से अधिक गन्ना का मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

पेराई वर्ष 2025–26 में दिनांक–10.01.2026 तक ईख क्रय एवं ईख मूल्य भुगतान की स्थिति

क्र०सं०	चीनी मिलों का संक्षिप्त नाम	गन्ना क्रय (लाख क्वीं० में)	गन्ना मूल्य देय (लाख रू० में)	अबतक किया गया कुल भुगतान (लाख रू० में)	गन्ना मूल्य अवशेष (लाख रू० में)	प्रतिशत	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बगहा	39.31	14056.83	12668.87	1387.96	90.13	
2	हरिनगर	61.19	22984.99	22929.62	55.37	99.76	
3	नरकटियागंज	44.04	15889.82	11866.21	4023.61	74.68	
4	मझौलिया	26.81	9996.63	6489.18	3507.45	64.91	
5	गोपालगंज	15.88	5614.45	3427.12	2187.33	61.04	
6	सिधवलिया	18.02	6473.51	4580.16	1893.35	70.75	
7	हसनपुर	20.04	7520.85	5280.77	2240.08	70.22	
8	लौरिया	14.37	5193.51	3659.53	1533.98	70.46	
9	सुगौली	12.53	4246.99	3619.82	627.17	85.23	
10	रीगा	1.77	625.80	429.52	196.28	68.64	
	योगः–	**253.96**	**92603.38**	**74950.80**	**17652.58**	**80.94**	
उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें–							
1	प्रतापपुर	2.20	447.00	102.00	345.00	22.82	
योगः–		**2.20**	447.00	102.00	345.00	22.82	
कुल योगः–		**256.16**	**93050.38**	**75052.80**	**17997.58**	**80.66**	

3. चीनी मिलों एवं यूनिट के अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु राशि में वृद्धि :

कारखाने एवं यूनिट की अनुज्ञप्ति नवीकरण दर वर्ष 1978 से लागू थी, जिसमें संशोधन किया गया है। राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली–1978 की नियम–17 के उपनियम–(1) में प्रथम अनुज्ञप्ति शुल्क/अनुज्ञप्ति के नवीकरण शुल्क में विभाग द्वारा संशोधन किया गया है, जो निम्नवत् है:–

(1) कारखाने की अधिभोगी को इन नियमों के अधीन प्रथम अनुज्ञप्ति देने के लिए 50,000/– रूपये।

(2) किसी कारखाने से संबंधित अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए 50,000/– रूपये।

(3) किसी यूनिट के स्वामी को इन नियमों के अधीन प्रथम अनुज्ञप्ति देने के लिए 2,000/–रूपये।

(4) यूनिट से संबंधित अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए 2,000/–रूपये।

4. बंद चीनी मिलों के पुनर्परिचालन का प्रयास :

राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरूद्धार/नयी चीनी मिलों के स्थापना हेतु राज्य मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में अधिसूचना संख्या–1807 दिनांक–26.11.2025 के द्वारा मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। दिनांक–08.12.2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक मे प्राप्त निदेश के अनुपालन में बिहार राज्य चीनी निगम की बंद इकाई सकरी एवं रैयाम पर सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना हेतु सहकारिता विभाग को हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है।

5. प्रोत्साहन पैकेज–2014:

(i) राज्य में चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एवं प्रोत्साहन पैकेज–2006 को और आकर्षित बनाने हेतु संशोधित प्रोत्साहन पैकेज 2014 की घोषणा की गयी। इसके अन्तर्गत राज्य में न्यूनतम 2500 TCD की स्थापना एवं कार्यरत चीनी मिलों की न्यूनतम 1500 TCD की क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया।

इस निमित्त देय अनुदान के प्रतिशत को भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया जो अधिकतम 15 करोड़ रूपये तक है।

(ii) न्यूनतम 30 के.एल.पी.डी. की क्षमता की नयी डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना तथा कार्यरत डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई का न्यूनतम 15 के.एल.पी.डी. से क्षमता विस्तार करने पर अचल पूँजी निवेश पर 20% अनुदान या 5 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी।

(iii) 10 मेगावाट की नयी सह–विद्युत इकाई की स्थापना तथा कार्यरत सह–विद्युत उत्पादन इकाई न्यूनतम 5 मेगावाट से क्षमता विस्तार पर अचल पूँजी निवेश पर 20% अनुदान या 15 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी।

(iv) प्रोत्साहन पैकेज 2014 को और अधिक आकर्षित बनाने एवं निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु "**बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2026**" तैयार किया जा रहा है।

6. घटतौली की शिकायतं : घटतौली की रोक–थाम हेतु सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को जिला एवं मुख्यालय स्तर पर धावा दल का गठन कर औचक निरीक्षण करने का विभाग के स्तर से निदेश दिये गये हैं।

7. डाक्यूमेन्टरी फिल्म :

डाक्यूमेन्टरी फिल्म के माध्यम से ग्राम एवं पंचायत स्तर पर किसानों को मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम, गन्ना किसानों का सफलता की कहानी, गन्ना विकास के नये तकनीक, प्रस्तावित गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत् मिलने वाले अनुदान एवं प्रोत्साहन पैकेज के तहत मिलने वाले अनुदानों से निवेशकों को अवगत कराया जा रहा है।

8. बिहार राज्य चीनी निगम का कार्यक्रम

बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 28 दिसम्बर 1974 को हुई थी। इसका मुख्य उद्‌देश्य रूग्ण एवं बन्द पड़ी चीनी मिलों का संचालन करना एवं उन्हें पुनर्जीवित करना था। सुगर केन अन्डरटेकिंग्स (एक्वीजीसन) ऐक्ट 1976 एवं बिहार राज्य चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश 1985 के अन्तर्गत 15 बन्द चीनी मिलों यथा– रैयाम, लोहट, सकरी, समस्तीपुर, गोरौल, बनमंखी, वारिसलीगंज, बिहटा, गुरारू, न्यू सावन (सिवान), मोतीपुर, मीरगंज (हथुआ), सिवान, लौरिया एवं सुगौली इकाई का अधिग्रहण किया गया।

वर्ष 1996–97 से बंद चीनी मिलों के कर्मियों एवं राज्य के किसानों एवं मजदूरों के हित में वर्ष 2006 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि निविदा प्रक्रिया के माध्यम से इन निवेशकों को लीज के आधार पर हस्तांतरित किया जाय। वित्तीय सलाहकार एस0बी0आई (कैप्स) कोलकाता के माध्यम से सम्पादित पांच निविदा प्रक्रियाओं के अंतर्गत कुल सात इकाइयों यथा लौरिया, सुगौली, मोतीपुर, रैयाम, सकरी, बिहटा एवं समस्तीपुर को लम्बी अवधि की लीज पर सफल निवेशक/निविदाकर्ता को हस्तांतरित किया गया। जिसमें लौरिया एवं सुगौली इकाइयों का पुनरूद्धार हो चुका है एवं दोनो इकाइयाँ Sugar Complex के रूप में विकसित की गई है जिनमें चीनी, बिजली एवं इथेनॉल के उत्पादन की व्यवस्था है।

समस्तीपुर इकाई पर जूट एवं फुड प्रोसेसिंग यूनिट (कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स सहित) की स्थापना हेतु मेसर्स विनसम इन्टरनेशनल, कोलकत्ता को चतुर्थ निविदा प्रक्रिया में हस्तांतरित की गई थी। अतिक्रमण संबंधित मामले के कारण मामला Arbitration Court में लंबित है।

रैयाम एवं सकरी इकाई पर गन्ना आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योग की स्थापना हेतु मे० तिरहुत इण्डस्ट्रीज लि० को हस्तांतरित की गयी। लीज डीड की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण उक्त दोनों इकाई हेतु निवेशक से किये गये एकरारनामा को रद्द कर दिया गया है। दिनांक–08.12.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में बिहार राज्य चीनी निगम की सकरी एवं रैयाम इकाइयों पर सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना हेतु सहकारिता विभाग, को हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जा रही हैं।

मोतीपुर इकाई पर गन्ना आधारित उद्योग हेतु मे० इंडियन पोटाश लि० को तृतीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से हस्तांरित किया गया। मोतीपुर इकाई पर मे० इंडियन पोटाश लि० द्वारा अभी तक गन्ना आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की गई है। उक्त इकाई से संबंधित मामला माननीय जिला एवं सत्र न्यायलय, पटना में लंबित है।

बिहटा इकाई पर लॉजिस्टिक–सह–इण्डस्ट्रीयल पार्क की स्थापना के उद्देश्य से प्रिस्टाईन मगध इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा० लि० को तृतीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से हस्तांरित किया गया। वर्तमान में अतिक्रमण संबंधित मामले के कारण मामला माननीय जिला एवं सत्र न्यायलय, पटना में लंबित है।

निगम की शेष बची आठ ईकाइयो यथा हथुआ (डिस्टीलरी सहित), वारिसलीगंज, गुरारू, गोरौल, सीवान, न्यू सावन, लोहट एवं बनमंखी तथा इसके अतिरिक्त फार्मलेंड कुल 2442.41 एकड़ भूमि को सरकार के निर्णयानुसार Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन (BIC) Group एवं निजी क्षेत्र की बंद चीनी मिलें–

क्रमांक	चीनी मिल का नाम/जिला	अद्यतन स्थिति
01.	कानपुर सुगर वर्क्स लि०, मढ़ौरा, सारण	मामला NCLT, कोलकाता बेन्च में प्रक्रियाधीन है।
02.	कानपुर सुगर वर्क्स लि०, बारा चकिया, पूर्वी चम्पारण	निवेशक द्वारा NCLT के माध्यम से इस चीनी मिल का अधिग्रहण किया गया है। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा इस चीनी मिल के भूमि पर सिलिंग लगाया गया है।
03.	कानपुर सुगर वर्क्स लि०, चनपटिया, प० चम्पारण	मामला ईलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।

निजी क्षेत्र की चीनी मिल–

क्रमांक	चीनी मिल का नाम/जिला	अद्यतन स्थिति
01.	श्री हनुमान सुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण	मामला NCLT, कोलकाता बेन्च में प्रक्रियाधीन है।
02.	सासामूसा सुगर वर्क्स प्रा० लि०, सासामूसा, गोपालगंज	मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय के आलोक में सासामूसा चीनी मिल (NCLT, कोलकाता बेन्च में परिसमापन प्रक्रिया में) को सहकारी चीनी मिल के रूप में स्थापित करने हेतु सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश है।

वित्तीय वर्ष 2024–2025 एवं 2025–2026 का गैर योजना एवं योजनामद में उपबंध एवं व्यय विवरण। (रू० में)

क्र0	बजट शीर्ष मांग संख्या– 45	2024–2025		2025–2026	
		उपबंध	व्यय	उपबंध	व्यय अनुमानित
1	2	3	4	5	6
गैर योजना					
1	मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघुशीर्ष– 108–वाणिज्यिक फसले मांग संख्या–45, उप शीर्ष– 0002–ईख की खेती–विपत्र कोड–45– 2401001080002	145797000	101881517	128059000	128059000
2	3451–सचिवालय आर्थिक सेवाएं उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–090 सचिवालय माँग संख्या –45–उपशीर्ष –0002 गन्ना उद्योग विभाग विपत्र कोड–45– 345100090002	32176000	27013236	28740000	28740000
3	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0002 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट,1937 से संबधित व्यय जिला, विपत्र कोड–45– 2852082010002	38359000	27558245	41103000	41103000
4	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0001 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट,1937 से संबधित व्यय मुख्यालय विपत्र कोड–45– 2852082010001	52302000	38107060	39708700	39708700
	योग (1 से 4)	**268634000**	**194560058**	**237610700**	**237610700**
योजना					
5	मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0109 ईख विकास विपत्र कोड–45– 2401001080109 (राज्य योजना)	410952000	233809397	500335000	500335000
	2. मुख्यशीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म– उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जाति के लिए–माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0108–ईख विकास विपत्र कोड–45– 2401007890108–(राज्य योजना)	80160000	4924881	96800000	96800000
	3. मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–796–जनजाति क्षेत्रीय– माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0129–ईख विकास–विपत्र कोड–45– 24010007960129–(राज्य योजना)	6138000	2174324	7865000	7865000
6	1. मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 03 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45– 2852082010103 (राज्य योजना)	522350000	514983514	1503017000	1503017000
	2. मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 01 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45– 2852087890101 (राज्य योजना)	60000000	0	155360000	155360000
	3. मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–796–जनजातिये क्षेत्र उप योजना–माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 02 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45– 2852087960102–(राज्य योजना)	5250000	0	12623000	12623000
7	1. मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201–चीनी–माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 04 गुड़ विकास कार्यक्रम विपत्र कोड–45– 2852082010104 (राज्य योजना)	102548000	2931576	88548000	88548000

	2. मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 02 गुड़ विकास कार्यक्रम विपत्र कोड–45–2852087890102 (राज्य योजना)	19840000	0	1612000	1612000
	3. मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–796–जनजातिये क्षेत्र उप योजना–माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 03 गुड़ विकास कार्यक्रम विपत्र कोड–45– 2852087960103 (राज्य योजना)	1612000	0	14000000	14000000
	योग (5 से 11) :–	**1208850000**	**758823692**	**2400000000**	**2400000000**
	कुल योग:–	**1477484000**	**953383750**	**2637610700**	**2637610700**

प्रमुख चुनौतियाँ

1. जल जमाव : गन्ना एक वार्षिक फसल है। राज्य में गन्ना के लगभग 10 – 15 प्रतिशत क्षेत्रों में 3 – 4 महीना तक जल जमाव की समस्या बनी रहती है। इन जल–जमाव वाले क्षेत्रों में गन्ना की खेती होने के कारण न केवल उपज बल्कि गन्ने की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के निदान हेतु चतुर्थ कृषि रोड मैप में जल संसाधन विभाग को गन्ने आच्छादित क्षेत्रों का सर्वे कराकर कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग नामित किया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा जल–जमाव/जल–निकासी वाले क्षेत्रों की समस्या के निदान हेतु कार्रवाई की जा रही है।

2. सिंचाई सुविधा : गन्ना एकवर्षीय फसल होने के कारण लगभग सभी मौसमों से गुजरना पड़ता है, जिसमें ग्रीष्मकालीन मौसम गन्ने की बढ़वार में अत्यधिक प्रभावित होती है। गन्ने की फसल में लगभग 5–6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। वर्त्तमान में राज्य अन्तर्गत मात्र 40–50 प्रतिशत गन्ना उत्पादन क्षेत्र में ही सिचाई सुविधा उपलब्ध है। इन सिंचाई क्षेत्र में भी औसतन 1 – 2 सिंचाई ही उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि अप्रील माह से नहरों में डिसिल्टिंग का कार्य किया जाता है, जिससे ग्रीष्मकालीन माहों में पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। उक्त माहों में गन्ने में सिंचाई की नितान्त आवश्यकता होती है। इसके मद्देनजर क्षेत्रीय विकास परिषदों से सिचांई की समस्या के निदान हेतु निजी नलकूप योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

3. उन्नतशील गन्ना प्रभेद : राज्य में अधिक उपज देने वाली गन्ना के प्रभेद का अभाव है। विभाग द्वारा इस दिशा में ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, चीनी मिल एवं बीज उत्पादक किसानों से समन्वय कर प्रजनक, आधार बीज तथा प्रमाणित बीज के उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित कर उन्न्तशील गन्ना के चयनित प्रभेदों के विस्तार का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत किसानों को अनुदानित दर पर अधिक ऊपजशील चयनित गन्ना प्रभेद के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

4. तकनीकी जानकारी एवं प्रचार प्रसार : गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ना के वैज्ञानिक खेती, कीट एवं रोग–व्याधि नियंत्रण, उन्नत कृषि यंत्र, जैविक खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी एवं नये–नये किस्मों की अद्यतन जानकारी के अभाव का भी गन्ना की उत्पादकता पर असर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षो से विभाग द्वारा इस दिशा में ठोस प्रयास किया जा रहा है। गन्ना किसानों एवं चीनी मिल के ईख विकास पदाधिकारियों के तकनीकी ज्ञानवर्द्धन हेतु एकदिवसीय प्रशिक्षण एवं एकदिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया है। साथ ही गन्ना किसानों को राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु भी भेजा जा रहा है।

5. ईख अनुसंधान एवं विकास :

किसी भी फसल के समुचित विकास में "अनुसंधान" अत्यंत महत्वपूर्ण है। गन्ना अनुसंधान के क्षेत्र में, राज्य में ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा एवं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर को प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। संस्थानो द्वारा प्रजनक बीज का उत्पादन किया जाता है। जिसे राज्य के चीनी मिलो एवं किसानों को आधार बीज उत्पादन हेतु वितरित किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम

वर्ष 2025–26 में गन्ना किसानों के हित में चलायी जा रही योजनाओं से संबंधित सूचनायें

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम– वर्ष 2025–2026 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम पर 4900.00 लाख रू0 व्यय का प्रावधान किया गया है। गन्ना उद्योग विभाग द्वारा राज्य में गन्ने के उत्पादन एवं उत्पादकता तथा चीनी की रिकवरी में वृद्धि के उद्देश्य से गन्ना किसानों के हित में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत ईख विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में गन्ने की कुल 16 प्रभेदों यथा– CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209, Bo-153, Co-15023, CoLK-14201, CoS-13235, CoLK-15466, CoLK-16466 एवं CoLK-16470 की खेती को प्रोत्साहित करने एवं उस निमित्त ईख अनुसंधान संस्थान/गन्ना कृषकों को प्रोत्साहन/अनुदान की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना के प्रमुख घटक निम्नवत् हैं–

1. त्रिस्तरीय गन्ना बीज उत्पादन
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. त्रिस्तरीय गन्ना बीज उत्पादन –

(1.1) **न्यूक्लियस गन्ना बीज एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम**– न्यूक्लियस गन्ना बीज (10 हे0 में) एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन (63 हे0 में) कार्यक्रम का कार्यान्वयन ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर द्वारा हुए एकरारनामा के अनुरूप किया जाएगा। वैज्ञानिक संस्थानों को प्रजनक बीज उत्पादन के लिए राज्य सरकार 2.50 लाख रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करा रही है। इस कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित कुल भौतिक लक्ष्य 63 + 10 यानि 73 हे0 के विरूद्ध 32 हे0 का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

(1.2) **आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम**– प्रजनक बीज से चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन करने वाले चीनी मिलों एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन करने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK)/किसान को 60,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। इस मद में निर्धारित कुल भौतिक लक्ष्य 350 हे0 की प्राप्ति हेतु गन्ना संस्थानों द्वारा उत्पादित प्रजनक बीज के उठाव हेतु बीज का आवंटन संबंधित चीनी मिलों/कार्यालयों को किया गया है, के आलोक में बीज उठाव कर आधार बीज हेतु बुआई का कार्य प्रगति पर है।

(1.3) **प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम**– प्रमाणित बीज उत्पादक (चीनी मिल/वैसे किसान जो चीनी मिल से आधार बीज प्राप्त कर प्रामणित बीज का उत्पादन किये हो) को 50/– रू0 प्रति क्वींटल के दर से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस मद में निर्धारित लक्ष्य 7,00,000 क्वींटल के विरूद्ध शरदकालीन बुआई सत्र में 1,00,950 क्वींटल की उपलब्धि हुई है तथा वसंतकालीन बुआई हेतु बीज वितरण का कार्य प्रगति पर है।

(1.4) **गन्ना के प्रत्यक्षण हेतु चयनित प्रभेदों का अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण क्रय अनुदान** – राज्य के लिए चयनित गन्ना प्रभेदों के निबंधित प्रमाणित बीज चीनी मिलों द्वारा किसानों के बीच वितरण किया जाएगा। एक एकड़ के लिए 25 क्वीं0 गन्ना बीज की दर से निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य वर्ग के किसानों को 210/– रू0 प्रति क्वींटल यानि 5250 रू0 प्रति एकड़ तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 240/– रू0 प्रति क्वींटल यानि 6000 रू0 प्रति एकड़ की दर से अनुदान का प्रावधान है। इस अवयव का लाभ प्राप्त करने हेतु किसान द्वारा **"केन केयर पोर्टल"** पर ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा। एक गन्ना कृषक को **अधिकतम 01 एकड़** में लगाये गये गन्ना बीज (अधिकतम 25 क्वीं0 प्रति एकड़) पर ही अनुदान राशि देय होगी। अब तक 4,038 एकड़ में शरदकालीन बुआई की गई है तथा वसंतकालीन बुआई हेतु कार्य प्रगति पर है। वसंतकाल रोपण की अवधि 15 फरवरी से 15 मार्च है, जिसमें अधिकतम उपलब्धि की आशा है।

(1.5) **बड चिप/सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण**– इस योजना का मुख्य उद्देश्य यथा– बीज दर में कमी, अंकुरण की क्षमता में वृद्धि, कल्ला एवं पेराई योग्य गन्नों की संख्या में वृद्धि, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, खेती की लागत में कमी एवं आमदनी में वृद्धि करना है। बड चिप/सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण 10000 पौध प्रति एकड़ अधिकतम 15,000 रू0 प्रति प्रत्यक्षण के दर से कुल 4000 प्रत्यक्षण हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 805 एकड़ में शरदकालीन सत्र में प्रत्यक्षण की गई है तथा वसंतकालीन सत्र का कार्य प्रगति पर है।

(1.6) **गन्ना के साथ अंतरवर्ती खेती (दलहन/तेलहन/मशाला/सब्जी) हेतु बीज के लिए अनुदान** – गन्ना के साथ (दलहन/तेलहन/मशाला/सब्जी) के प्रमाणित बीज से अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रू0 प्रति एकड की दर से राशि का प्रावधान किया गया है। **इस योजना का लाभ किसानों/लाभार्थी को अधिकतम 01 (एक) एकड़ के लिए देय होगा।** इस मद अंतर्गत निर्धारित कुल 20000 एकड़ के विरूद्ध शरदकालीन में 7205 एकड़ की उपलब्धि प्राप्त की गई है।

(1.7) **गन्ना किसानों को समूचित सलाह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "IKH MITRA APP"** – गन्ना की खेती करने वाले कृषकों के समस्याओं/शिकायतों के निवारण हेतु " IKH MITRA APP " विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपने विभिन्न समस्याओं जैसे भुगतान में विलंब, तौल संबंधी शिकायतें, पर्ची वितरण, गन्ना से संबंधित सभी प्रकार के तकनीकी जानकारी सहित अन्य सहायता प्राप्त किया जा सकता है। यह मोबाईल एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम –

(2.1) **राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/एक्सपो** – गन्ना उत्पादक कृषकों को नवीनतम तकनीक से गन्ना खेती, विभागीय योजनाओं यंत्रिकरण सहित की जानकारी के साथ उनके बौद्धिक संवर्द्धन हेतु राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/एक्सपो के आयोजन हेतु राशि प्रावधानित है। मार्च, 2026 में ज्ञान भवन, गाँधी मैदान, पटना में दो दिवसीय गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार, 2026 का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

(2.2) **क्षेत्रीय कार्यशाला/एक्सपो** – गन्ना उत्पादक कृषकों को नवीनतम तकनीक से गन्ना खेती करने एवं विभागीय योजनाओं इत्यादि की जानकारी हेतु चीनी मिल/क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रांर्गत चयनित स्थल पर क्षेत्रीय कार्यशाला/एक्सपो के आयोजन हेतु 05.00 लाख रू0 प्रति कार्यशाला की दर से कुल 12 कार्यशाला/एक्सपो का प्राक्धान है, के विरूद्ध 08 क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है। यह कार्यशाला गन्ना किसानों के ज्ञानवर्द्धन में काफी सहायक सिद्ध हुआ है।

(2.3) **राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भ्रमण एवं प्रशिक्षण** – विभागीय पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु कुल 10.00 लाख रू0 प्रावधानित है। इस अंतर्गत अभी तक 20–20 पदाधिकारियों के तीन समूह को राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भेजा गया है।

(2.4) **राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण** – प्रगतिशील गन्ना कृषकों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु कुल 40.00 लाख रू0 राशि प्रावधानित है। अभी तक 40–40 कृषकों का 04 समूह राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भेजा गया है। यह कार्यक्रम राज्य के गन्ना किसानों को दूसरे राज्यों के नये तकनीक एवं विधियों को सीखने में मदद करता है, जिससे किसानों का उत्साहवर्द्धन हो रहा है।

(2.5) **बिहार दिवस मेला/झांकी इत्यादि का आयोजन** – इन अवसरों पर राज्य के विकास कार्यों, उपलब्धियों और सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। गन्ना उद्योग विभाग द्वारा पहली बार बिहार दिवस–2025 में गन्ना पवैलियन में स्टॉल/प्रदर्शनी लगाया गया, जो आगंतुकों द्वारा दर्शनीय एवं सराहनीय था। गन्ना विभाग द्वारा बिहार दिवस मेला–2026 के अवसर पर स्टॉल/प्रदर्शनी लगाया जा रहा है।

(2.6) **40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण** – 40 गन्ना कृषकों के लिए 10,000 रू0/प्रशिक्षण की दर से कुल 500 एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर आयोजित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य कुल 500 प्रशिक्षण में से अभी तक 466 प्रशिक्षण का आयोजन विभिन्न चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्रों में कराया जा चुका है।

3. ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं तकनीकी प्रचार प्रसार की योजना– वर्ष 2025–2026 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं तकनीकी प्रचार प्रसार की योजना पर 150.00 लाख रू0 व्यय का प्रावधान किया गया है।

4. बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम– चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में गुड़ प्रोत्साहन योजना के तहत् कुल 124 गुड़ इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना पर 1100.00 लाख रू० व्यय का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार में प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने, मूल्य संवर्द्धन और अन्य संबद्ध सहयोग करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर गन्ने क्षेत्र को प्रोत्साहित और सवंर्द्धित करना ताकि किसानों को उच्चतर रिटर्न दिया जा सके और रोजगार के अधिक अवसरों को पैदा करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत वर्ष 2025–26 में इस योजना का कार्यान्वयन कुल 1100.00 लाख रू० की लागत पर कराया जा रहा है। इसके तहत् पेराई सत्र 2025–26 के लिए विभिन्न क्षमताओं के कुल 124 गुड़ इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

5. गन्ना यंत्रिकरण योजना –

राज्य के गन्ना किसानों के हित में गन्ना यंत्रिकरण योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 1000.00 लाख रू0 (दस करोड़ रूपये) मात्र रूपये की लागत पर गन्ना उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है ताकि किसानों के गन्ना उत्पादन की लागत में कमी हो तथा उत्पादकता में वृद्धि के साथ चीनी रिकवरी में भी वृद्धि हो।

इस योजनांतर्गत व्यक्तिगत किसानों को निम्न यंत्र उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिसमें सामान्य श्रेणी के किसानों को निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के व्यक्तिगत किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत् आवेदक किसान अधिकतम तीन यंत्र पर अनुदान की पात्रता रखेगें।

S.N.	Type of Agricultural Machinery	For General Beneficiary		For SC, ST & EBC Beneficiary	
		Maximum Permissible Subsidy per Machine/ Equipment per Beneficiary (In Lakh)	Pattern of Assistance	Maximum Permissible Subsidy per Machine/ Equipment per Beneficiary (In Lakh)	Pattern of Assistance
A. Land Preparation Tools/Implements/Machinery					
1	Mini Tractor 4 WD (upto 20-30 PTO HP)	2.50	50%	3.00	60%
2	Power Tiller 2 WD (above 11 BHP)	1.20	50%	1.44	60%
3	Reversible MB Plough (Semi-Automatic)/Hydraulic (2-4 Tyne)	0.50	50%	0.60	60%
4	Reversible MB Plough (Fully Automatic)/Hydraulic (2-4 Tyne)	0.825	50%	0.99	60%
5	Disk Harrow (12-20 Disc)	0.30	50%	0.36	60%
6	Hydraulic Disk Harrow (12-16 Disc)	0.40	50%	0.48	60%
7	Land Leveller	0.08	50%	0.10	60%
8	Laser Leveller	2.00	50%	2.40	60%
9	Tractor Operated Rotavator (up to 4 feet)	0.70	50%	0.84	60%
10	Power Harrow	1.00	50%	1.20	60%
11	Chisel (Two Tyne)	0.175	50%	0.21	60%
B. Planting Tools/Implements/Machinery					
12	Tractor Mounted Ridger	0.15	50%	0.18	60%
13	Trench Planter	0.15	50%	0.18	60%
14	Double Pit Digger	0.73	50%	0.87	60%
15	Sugarcane Cutter Planter (Two Row)	1.40	50%	1.68	60%
16	Sugarcane Detrasher	RS 250/-	50%	Rs 300/-	60%
17	Single Bud Cutter Manual	RS 1500/-	50%	RS 1800/-	60%
18	Single Bud Cutter Power Operated	0.25	50%	0.30	60%

19	Tractor Operated Rota Ridger	1.00	50%	1.20	60%
20	Sugarcane Bud Chipper	RS 1500/-	50%	RS 1800/-	60%
21	Ratoon Management Device with Stubble Shaver & Fertilizer	1.25	50%	1.50	60%
22	Sett Treatment Device	0.75	50%	0.90	60%
23	Sugarcane Settling Planter (Two Row)	0.33	50%	0.40	60%
C. Inter-culturing Tools/Implements/Machinery					
24	Power Weeder (engine operated 7.5 BHP and above)	0.85	50%	1.02	60%
25	Sugarcane Inter-culturing Cultivator (5-15 Tyne)	0.15	50%	0.18	60%
26	Earthing up with fertilizer unit Ridger	0.40	50%	0.48	60%
27	Sugarcane Stubble Shaver	0.40	50%	0.48	60%
D. Plant Protection Equipment's					
28	Tractor Mounted Sprayers (Hydraulic)	0.48	50%	0.57	60%
29	Tractor Mounted Sprayers (with wheel)	1.00	50%	1.20	60%
30	HTP Power Sprayer with Tank & Delivery Pipe	0.25	50%	0.30	60%
F. Residue Control					
31	Sugarcane Thrash Shredder	1.50	50%	1.80	60%
32	Shalsher	0.375	50%	0.45	60%
33	Sugarcane Thrash Cutter	0.25	50%	0.30	60%

नोट– अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के व्यक्तिगत किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देय होगा।

इस योजनांतर्गत समूह यथा किसान समूह के अधीन गुड़ उद्यमी/पैक्स/जीविका समूह/आत्मा से पंजीकृत किसान समूह/फार्मर प्रोडयुसर ऑर्गेनाईजेशन एवं चीनी मिल इत्यादि को गन्ना यंत्र बैंक की स्थापना हेतु निर्धारित मूल्य का 70 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। समूह अंतर्गत यंत्रों के तीन समूह निर्धारित है। इस समूह अंतर्गत निर्धारित यंत्रों की सूची अंतर्गत सभी यंत्रों का क्रय आवश्यक होगा। समूहवार यंत्रों की सूची निम्नवत् हैः–

समूह 1	समूह 2	समूह 3
Reversible MB Plough (Smei-Automatic)/Hydraulic(2-4 Type	Reversible MB Plough (Smei-Automatic)/Hydraulic(2-4 Type	Reversible MB Plough (Smei-Automatic)/Hydraulic(2-4 Type
Cultivator (9 tine)	Cultivator (9 tine)	Cultivator (9 tine)
Ratoon Management Device with Stubble Shaver & Fertilizer	Ratoon Management Device with Stubble Shaver & Fertilizer	Ratoon Management Device with Stubble Shaver & Fertilizer
Selt Treatment Device	Selt Treatment Device	Selt Treatment Device
Sugarcane Cutter Planter (Two Row)	Sugarcane Cutter Planter (Two Row)	Sugarcane Cutter Planter (Two Row)
Engine Operated Sprayers	Engine Operated Sprayers	Engine Operated Sprayers
Tractor Mounted Sprayers (with wheel)	Tractor Mounted Sprayers (with wheel)	Tractor Mounted Sprayers (with wheel)
Tractor Operated Riger/Riger/Ring Pit Digger/Trench Opener	Tractor Operated Riger/Riger/Ring Pit Digger/Trench Opener	Tractor Operated Riger/Riger/Ring Pit Digger/Trench Opener
Single Bud Cutter (Power Operated)	Single Bud Cutter (Power Operated)	Single Bud Cutter (Power Operated)
Disk Harrow (12-20Disk)	Disk Harrow (12-20Disk)	Disk Harrow (12-20Disk)
Tractor Trolly (Hydraulic)	Tractor Trolly (Hydraulic)	Tractor Trolly (Hydraulic)
Power Weeder (engine operated 7.5 BHP and above)	Power Weeder (engine operated 7.5 BHP and above)	Power Weeder (engine operated 7.5 BHP and above)
	Tractor Mounted Sugarcane Harvester	Tractor Mounted Sugarcane Harvester
	Tractor With Land Laser Leveller	Tractor With Land Laser Leveller
		Sugarcane Harvester (Automatic)
कुल अनुमानित मूल्य 1809000/– रू० अनुदान राशि (70 प्रतिशत) – 1266300/– रू०	कुल अनुमानित मूल्य 4109000/– रू० अनुदान राशि (70 प्रतिशत) – 2876000/– रू०	कुल अनुमानित मूल्य 1,39,09,000/– रू० अनुदान राशि (70 प्रतिशत) – 9736300/– रू०

ईच्छुक गन्ना किसान इस योजना का लाभ लेने हेतु के विभागीय पोर्टल http://ccs.bihar.gov.in/https:// sugarcanemech.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ केवल गन्ना किसानों को देय है।

क्षेत्रीय विकास परिषद् का कार्यकलाप

बिहार ईख अधिनियम की धारा–7 के अनुसार प्रत्येक चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय विकास परिषद् का गठन तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

बिहार ईख अधिनियम की धारा–8 में परिषद् का कार्य निर्धारित है जिसके अंतर्गत चीनी मिल क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करना, गन्ना की ढुलाई के लिए सड़क का सुधार करना, उन्नत किस्म के ईख बीज वितरण करवाना, ईख फसल पर कीट व्याधि के प्रकोप की रोक–थाम के लिए कीटनाशक दवा का वितरण करवाना आदि है।

राज्य के चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में पूर्व के पेराई सत्रों में क्रय किये गये गन्ने पर भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन के दर को ईख मूल्य के दर का 1.80 (एक दशमलव आठ शून्य) प्रतिशत से घटाकर 0.20 (शून्य दशमलव दो शून्य) प्रतिशत के रूप में पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्षेत्रीय विकास परिषद का पुनर्गठन

क्र०सं०	क्षेत्रिय विकास परिषद्	संबंधित जिला	अधिसूचना संख्या / पुनर्गठन की तिथि
1	लौरिया	पश्चिम चम्पारण	2094 / 09.12.2024
2	सुगौली	पूर्वी चम्पारण	177 / 25.02.2025
3	मंझौलिया	पश्चिम चम्पारण	452 / 24.04.2025
4	सिधवलिया	गोपालगंज	178 / 25.02.2025
5	रामनगर	पश्चिम चम्पारण	2155 / 23.12.2024
6	नरकटियागंज	पश्चिम चम्पारण	2152 / 23.12.2024
7	बगहा	पश्चिम चम्पारण	2092 / 09.12.2024
8	हरखुआ	गोपालगंज	2093 / 09.12.2024
9	ससामुसा	गोपालगंज	19 / 07.01.2025
10	हसनपुर	समस्तीपुर	18 / 07.01.2024
11	मैरवा	सिवान	416 / 12.04.2025

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए प्रस्तावित योजना का लक्ष्य

क्र0सं	बजट शीर्ष माँग संख्या– 45	2026–27 उपबंध (रू0 में)
1	2	3
A	**गैर योजना–**	
1	मुख्यशीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उप मुख्यशीर्ष–00 – लघुशीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें माँग संख्या–45 – उपशीर्ष–0002–ईख की खेती विपत्र कोड–एन0 2401001080002	282005000
2	मुख्यशीर्ष 3451–सचिवालय आर्थिक सेवाएं उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–090 सचिवालय माँग संख्या–45 – उपशीर्ष–0002 गन्ना उद्योग विभाग विपत्र कोड–एन0 3451000900002	28883000
3	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0002 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट, 1937 से संबंधित व्यय जिला विपत्र कोड–एन0 2852082010002	49863000
4	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0001 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट,1937 से संबंधित व्यय मुख्यालय विपत्र कोड–एन0 2852082010001	51516000
	योग :–	**412267000**
B	**योजना–**	
6	(i) मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0109 ईख विकास विपत्र कोड–45–2401001080109 राज्य योजना	1348010000
	(ii) मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0108 ईख विकास विपत्र कोड–45–2401007890108 राज्य योजना	260800000
	(iii) मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–796 जनजातिय क्षेत्रीय उप योजना, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0129 ईख विकास विपत्र कोड–45–2401007960129 राज्य योजना	21190000
7	मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0120 गन्ना यंत्रिकरण विपत्र कोड–45–2401001080120 राज्य योजना	800000000
8	(i) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 03 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45–2852082010103 राज्य योजना	250288000
	(ii) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 01 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45–2852087890101 राज्य योजना	203200000
	(iii) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–796 जनजातिय क्षेत्रीय उप योजना– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 02 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45–2852087960102 राज्य योजना	16510000
9	(i) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 04 गुड़ विकास कार्यक्रम विपत्र कोड–45–2852082010104	82700000
	(ii) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 02 गुड़ विकास कार्यक्रम विपत्र कोड–45–2852087890102	16000000
	(iii) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–796 जनजातिय क्षेत्रीय उप योजना– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 03 गुड़ विकास कार्यक्रम विपत्र कोड–45–2852087960103	1300000
	मुख्यशीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–60–अन्य भवन–लघुशीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0147–चीनी मिल की चाहरदिवारी का निर्माण, विपत्र कोड–03–41059600510147 के विषय शीर्ष–53–मुख्य कार्य (0147–53–01 मुख्य निर्माण कार्य)	2000
	योग :–	**3000000000**
	कुल योग (A + B) : –	**3412267000**

हरिनगर चीनी मिल, पश्चिम चम्पारण

स्थापना वर्ष – 1933

पेराई क्षमता – 13000 टी.सी.डी.

डिस्टीलरी क्षमता – 165 के.एल.पी.डी.

को–जेन क्षमता – 14.5 मेगावाट/घंटा

नरकटियागंज चीनी मिल, पश्चिम चम्पारण

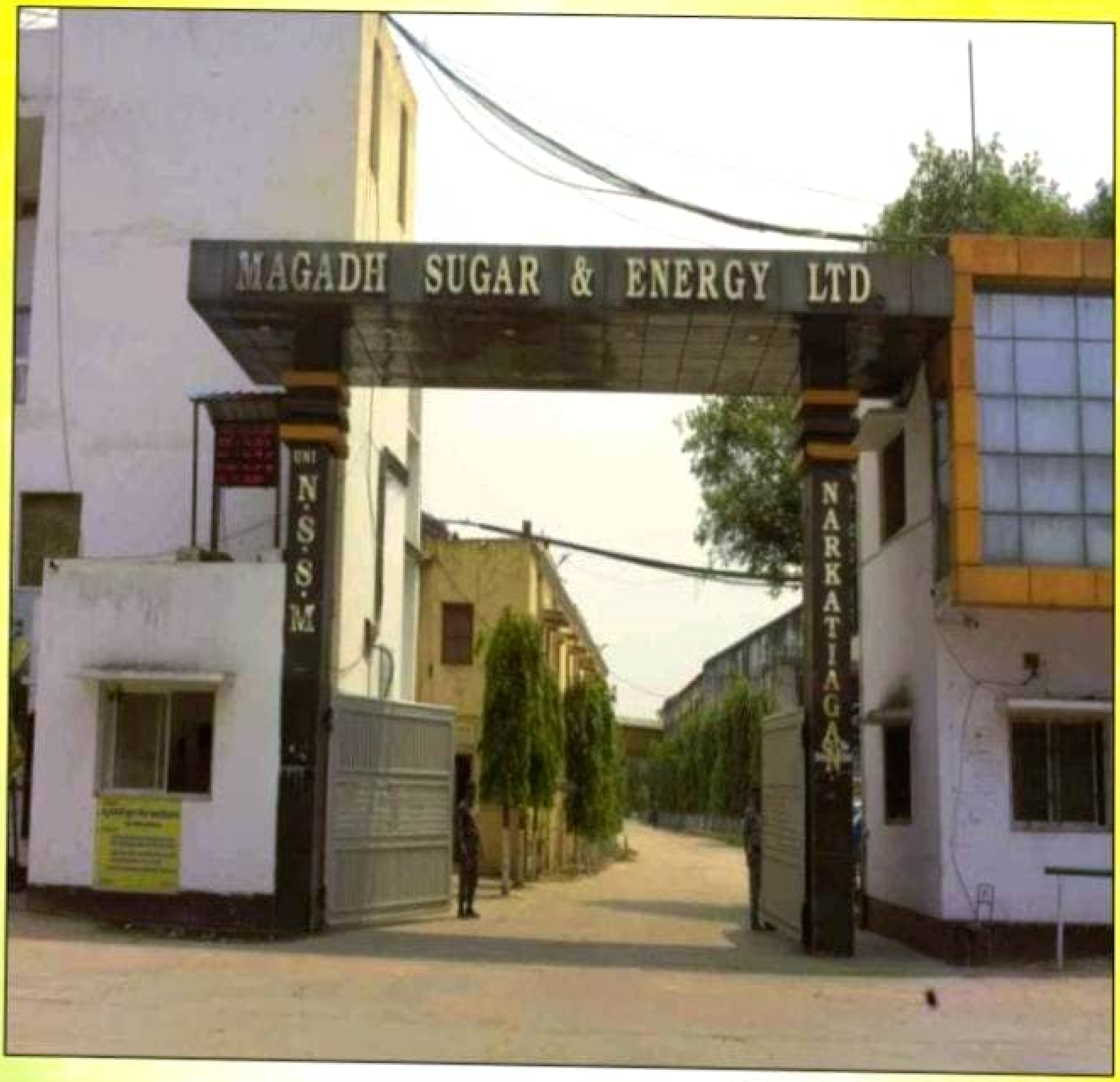

स्थापना वर्ष	–	1932
पेराई क्षमता	–	10000 टी.सी.डी.
डिस्टीलरी क्षमता	–	60 के.एल.पी.डी.
को–जेन क्षमता	–	05 मेगावाट / घंटा

मझौलिया चीनी मिल, पश्चिम चम्पारण

स्थापना वर्ष	–	1933
पेराई क्षमता	–	5000 टी.सी.डी.
डिस्टीलरी क्षमता	–	60 के.एल.पी.डी.

एच.पी.सी.एल., लौरिया चीनी मिल, पश्चिम चम्पारण

स्थापना वर्ष	–	1905
पेराई क्षमता	–	3500 टी.सी.डी.
डिस्टीलरी क्षमता	–	60 के.एल.पी.डी.
को–जेन क्षमता	–	20 मेगावाट / घंटा

तिरूपति चीनी मिल, बगहा, पश्चिम चम्पारण

स्थापना वर्ष	–	1936
पेराई क्षमता	–	8000 टी.सी.डी.
को–जेन क्षमता	–	06 मेगावाट/घंटा

एच.पी.सी.एल., सुगौली चीनी मिल, पूर्वी चम्पारण

स्थापना वर्ष – 1934

पेराई क्षमता – 3500 टी.सी.डी.

डिस्टीलरी क्षमता – 60 के.एल.पी.डी.

को–जेन क्षमता – 20 मेगावाट/घंटा

भारत सुगर मिल, सिधवलिया, गोपालगंज

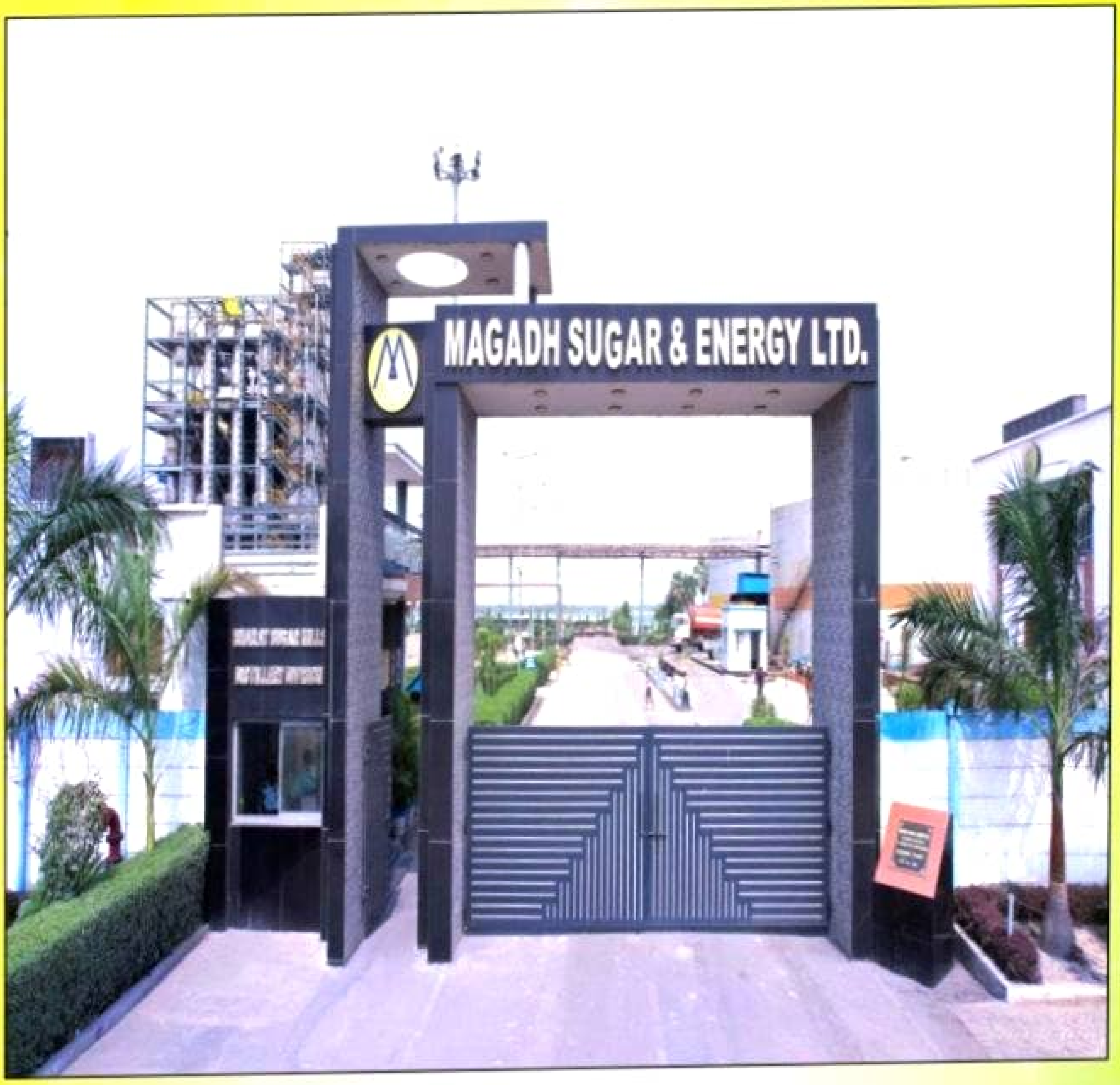

स्थापना वर्ष	–	1932
पेराई क्षमता	–	5000 टी.सी.डी.
डिस्टीलरी क्षमता	–	75 के.एल.पी.डी.
को–जेन क्षमता	–	10 मेगावाट/घंटा

विष्णु सुगर मिल, गोपालगंज

स्थापना वर्ष	–	1932
पेराई क्षमता	–	5000 टी.सी.डी.

रीगा सुगर मिल, सीतामढ़ी

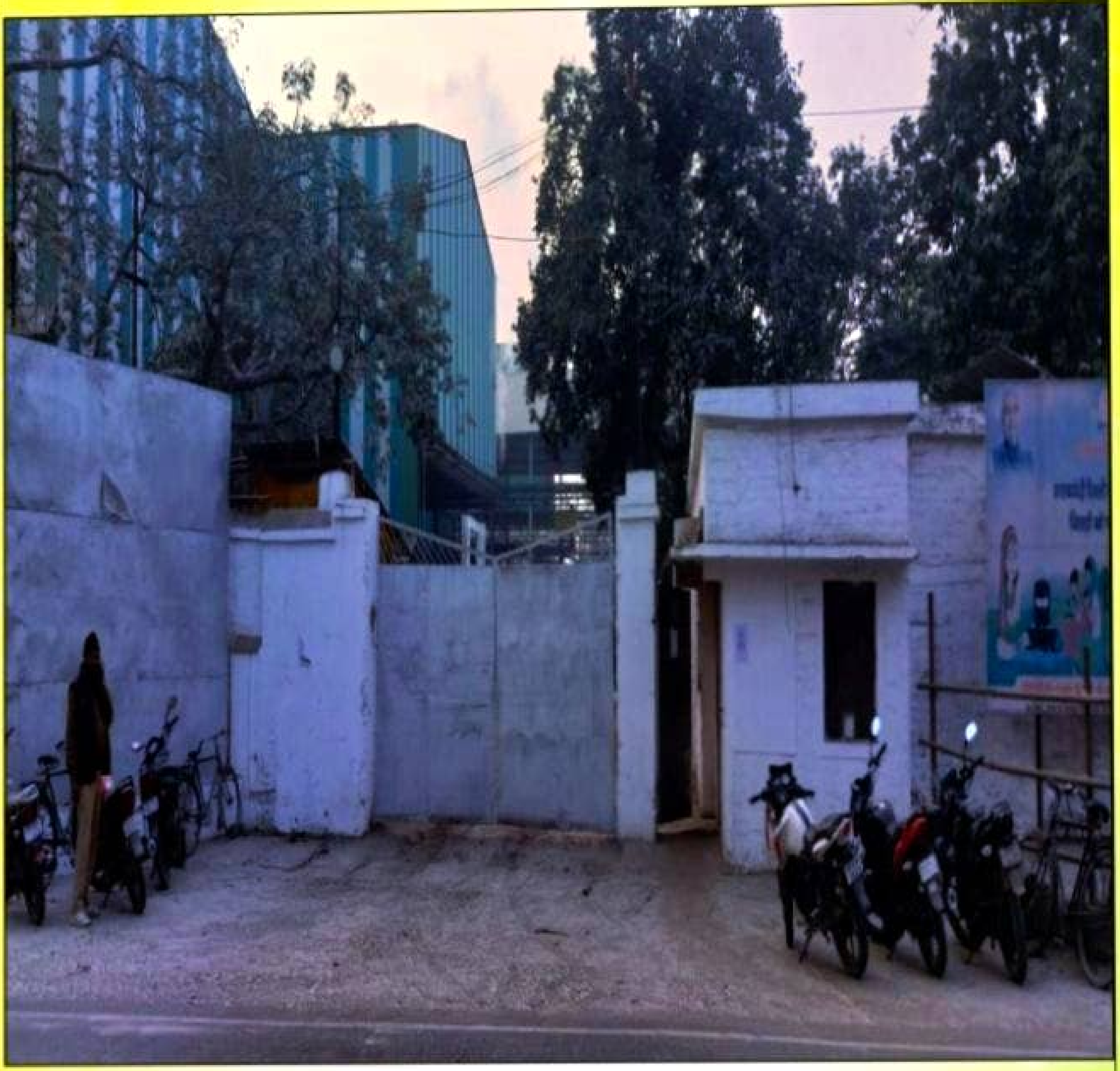

स्थापना वर्ष – 1933

पेराई क्षमता – 5000 टी.सी.डी.

डिस्टीलरी क्षमता – 50 के.एल.पी.डी.

को–जेन क्षमता – 03 मेगावाट/घंटा

हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर

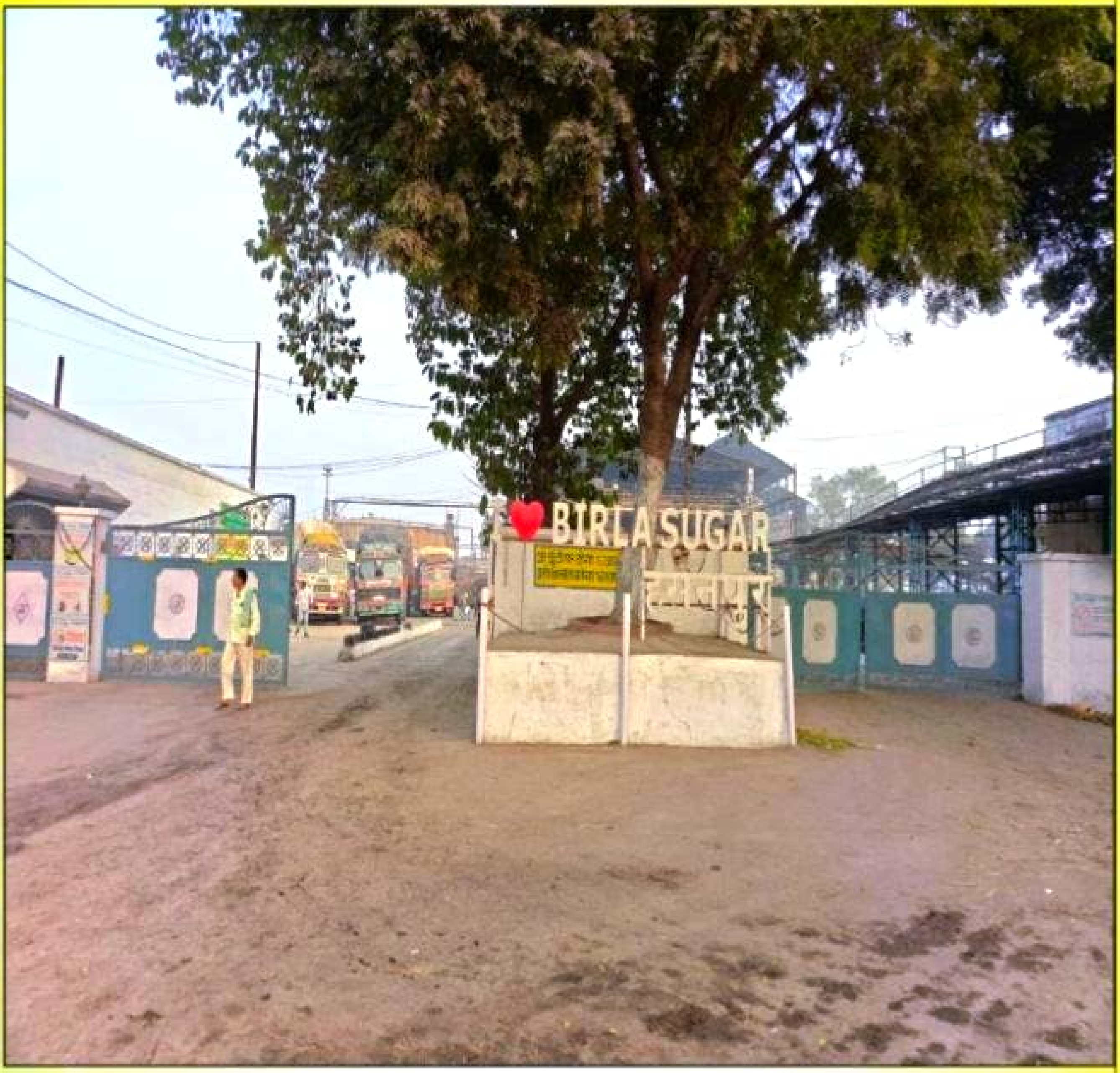

स्थापना वर्ष – 1934

पेराई क्षमता – 6500 टी.सी.डी.

को–जेन क्षमता – 10 मेगावाट/घंटा